

प्रेस नोट दिनांक- 03.12.2023

(1). आज दिनांक 03.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 03.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माह दिसंबर 2023 में शहरवासियों/श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संभावित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों के क्रम में शहर क्षेत्र में एवं निम्नांकित मार्गों पर भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन वाहनों को छोड़कर) का प्रवेश एवं परिवहन सुबह 06.30 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

- रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व प्रयागराज रोड।
- पुलिस लाईन तिराहा मानिकपुर रोड।

- बेड़ी पुलिया (मृत्युगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा बांदा मार्ग)।
- लोढ़वारा मोड राजापुर मार्ग।
- शेषनपुरवा मोड सोनेपुर सतना मार्ग।
- बेड़ी पुलिया तिराहा से निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर तक

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त छोटा केवट पुत्र मग्गी केवट निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 किलो 100 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी कुल्दीप द्विवेदी

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राकेश सिंह परिहार तथा उनके हमराही आरक्षी सचिन कुमार द्वारा मु0अ0सं0 284/2023 धारा 354,323,504,506 भादवि0 व 7/8 पॉस्को एक्ट के वांछित अभियुक्त सीताराम पुत्र रामसुख निवासी बेलहा मजरा बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी शिवम मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 160/23 धारा 279,304ए भादवि0 के वांछित अभियुक्त चालक राजेश कुमार पुत्र मैया दिन निवासी बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा परिवारिक आपसी झगड़े को समाप्त कराकर सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सीमा जायसवाल निवासी कोलगादहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके उनके साथ मारपीट करते हैं। थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर थानाध्यक्ष महिला थाना द्वारा दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तातम्यता बनाकर रहें।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया
2. उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह
3. महिला आरक्षी सपना शर्मा
4. मुख्य आरक्षी महेश